न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2020/00070

लोडक्या आत्मज मोड़ू गुर्जर निवासी बडी पडाप तहसील नैनवा जिला बून्दी।
----अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिलाधीश महोदय, बून्दी ।
2. भू-स्वामी जरिये तहसीलदार नैनवा जिला बून्दी ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :- 1. श्री महेश योगी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 26.07.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.02.2020 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अधिकार घोषणा व नक्शा में तरमीम करने बाबत् पेश कर कथन किया कि ग्राम बडी पडाप तहसील नैनवा में खसरा नम्बर 1393/1061 रकबा 03 बीघा भूमि वादी के गैर खातेदारी में दर्ज है । उक्त भूमि दिनांक 07.07.1999 को आवंटन समिति द्वारा नियमानुसार आवंटन कर वादी को विधिवत कब्जा संभलाया गया तब से ही वादी लगातार उक्त भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है । वादी आवंटन से 10 वर्ष तक गैरखातेदार व 10 वर्ष के बाद खातेदार की हैसियत से काबिज काश्त चला आ रहा है । वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह वादग्रस्त आराजी का स्वयं को खातेदार घोषित करावे और नक्शा ट्रेस में तरमीम करावे ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का वादी को खातेदार घोषित किया जावे तथा नक्शा ट्रेस में तरमीम की जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.02.2020 के द्वारा वाद वादी खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.02.2020 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी आवंटन समिति द्वारा वादी को नियमानुसार सन् 1999 में आवंटित की गई थी और आवंटन के बाद दखलनामा दिया जाकर कब्जा संभलाया गया था । वादग्रस्त आराजी वादी के गैर खातेदारी में दर्ज की गई । गैर खातेदारी में दर्ज किये जाने के 03 वर्ष पश्चात् स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रावधानों के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने वाद में तनकीयात कायम नहीं की है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.02.2020 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की जानकारी प्राप्त होते ही दिनांक 05.03.2020 को नकल प्राप्त की गई व अपील हेतु दिनांक 21.03.2020 को अपने अधिवक्ता से कोटा जाकर सम्पर्क किया परन्तु कोविड–19 वैश्विक महामारी सम्पूर्ण भारत में फेलने से पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया इस कारण अपीलान्ट उक्त अपील समय पर प्रस्तुत नहीं कर सका । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि परीक्षण न्यायालय के समक्ष एक दावा अधिकार घोषणा का प्रस्तुत किया था । परीक्षण न्यायालय ने नगरीय सीमा में खातेदारी नियम विरूद्ध होने के आधार पर दावा खारिज किया है जो त्रुटिपूर्ण है । आराजी अपीलान्ट को सन् 1999 में आवंटित हुई थी, दखलनामा दिया जाकर कब्जा दिया गया था । आराजी निरन्तर अपीलान्ट के कब्जे में है । आवंटन के 03 वर्ष के पश्चात् स्वतः ही खातेदारी प्राप्त हो जाती है । तनकी कायम नहीं की गई हैं । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.02.2020 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरटी 2016 (1) पेज 559, आरआरटी 2016 पेज 340, आरआरटी 2018 पेज 285, आरआरटी 2015 (1) पेज 534 उद्वरत की ।

9. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि मुख्य रूप से वादग्रस्त आराजी नगरीय सीमा में होने से खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । परीक्षण न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा वादी खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.02.2020 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. परीक्षण न्यायालय में वादी के द्वारा हक घोषणा का दावा पेश किया था जिसमें तहसीलदार नैनवा की ओर से दिनांक 18.05.2018 को जवाबदावा पेश किया गया है । सरकार के द्वारा अपने जवाब में मुख्य रूप से यह आपत्ति की गई है कि ग्राम बडी पडाप नगरपालिका नैनवा की पेराफेरी बेल्ट में स्थित है इसमें खातेदारी अधिकार प्रदान करने हेतु संभागीय आयुक्त अथवा जिला कलक्टर सक्षम है जिसमें नगरपालिका का अनापत्ति प्रमाण पत्र भी आवश्यक है। परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय में इस बिन्दु का विवेचन किया है और इसके आधार पर दावा वादी खारिज किया है । वादी के द्वारा गैर खातेदारी से खातेदारी हेतु अधिकार घोषणा का दावा पेश किया गया है । विधिक रूप से गैर खातेदारी से खातेदारी घोषणा हेतु अपीलान्ट को आवंटन अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए और आवंटन अधिकारी प्रार्थना पत्र आने पर विधिक प्रावधानों के तहत उसका परीक्षण कर खातेदारी अधिकार प्रदान कर सकते हैं । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट के द्वारा जो नजीरें उद्वरत की गई हैं उनकी पालना में कार्यवाही भी आवंटन अधिकारी के द्वारा की जानी है । आवंटन अधिकारी के समक्ष अपीलान्ट के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त उनका परीक्षण कर विधि सम्मत रूप से आवंटन अधिकारी के द्वारा उचित कार्यवाही की जा सकती है । तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा वादी खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.02.2020 बहाल रखा जाता है ।

13. निर्णय आज दिनांक 26.07.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

26/7/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2020/00070

लोडक्या आत्मज मोडू गुर्जर निवासी बडी पडाप तहसील नैनवा जिला बून्दी।

––अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिलाधीश महोदय, बून्दी ।
2. भू–स्वामी जरिये तहसीलदार नैनवा जिला बून्दी ।

––प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.02.2020 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी ।

वाद संख्याः 143/दावा/2017

लोडक्या आत्मज मोडू गुर्जर निवासी बडी पडाप तहसील नैनवा जिला बून्दी।

––वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिलाधीश महोदय, बून्दी ।
2. भू–स्वामी जरिये तहसीलदार नैनवा जिला बून्दी ।

––प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला नैनवा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.02.2020 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 26.07.2021 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री महेश योगी एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.02.2020 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 26.07.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

26/7/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा